



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्र

पत्रांक 1929/सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० D80 से० 5/2026-27

ANKUR PANDEY AMARNATH PANDEY

दिनांक : 01-07-2026

आवंटी यूआईडी : 14540

SAHASPAR KHURD POST DEHRATIKAR , Mobile: 9935284208,
Email: pandeyankur521@gmail.com

आवंटन पत्र संख्या AL00283 दिनांक 02-09-2025 के माध्यम से गीडा की NEW GORAKHPUR (SECTOR-5) योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या D80 से 5 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	0.00
योग रु०			0.00

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	76,938.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	73,558.00
योग रु०			150,496.00
कुल योग रु०			150,496.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidacrp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 13 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/2 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० D81 से० 5/2026-27दिनांक : 01-07-2026

ANJANI MOHAN CHAND

आवंटी यूआईडी : 14542

VILL AND POST BADGAHAN THANA GIDA DIST GORAKHPUR ,
Mobile: 9807484285, Email: mohanchand1977@gmail.com

आवंटन पत्र संख्या AL00285 दिनांक 02-09-2025 के माध्यम से गीडा की NEW GORAKHPUR (SECTOR-5) योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या D81 से० 5 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	0.00
योग रु०			0.00

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	76,938.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	73,558.00
योग रु०			150,496.00
कुल योग रु०			150,496.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 13 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
 गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/3 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० D83 से० 5/2026-27दिनांक : 01-07-2026

NISHA TIWARI W/o GAUTAM TIWARI

आवंटी यूआईडी : 14544

Koraiya Near Jharna Tola Kurnaghat Khorabar Urf Soobabazar
Gorakhpur 273008 UP gorakhpur ANDAMAN AND NICOBAR
ISLANDS
, Mobile: 8808546338, Email: gt41069@gmail.com

आवंटन पत्र संख्या AL00287 दिनांक 02-09-2025 के माध्यम से गीडा की NEW GORAKHPUR (SECTOR-5) योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या D83 से० 5 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	0.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	0.00
योग रु०			<u>0.00</u>

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	0.00
2. ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	76,938.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	73,558.00
योग रु०			<u>150,496.00</u>
कुल योग रु०			<u>150,496.00</u>

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 13 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/4 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० 2 से० 13/2026-27दिनांक : 01-07-2026

SHRI TAUFIC AHAMAD S/O SHRI MOHAMMAD MOBIN

आवंटी यूआईडी : 10005

R/O VILLAGE-NIMAWA POST-MEERGANJ DISTRICT-SANT KABIR
NAGAR DISTRICT-SANT KABIR NAGAR UTTAR PRADESH

आवंटन पत्र संख्या 31 दिनांक 31-12-2001 के माध्यम से गीडा की SHED योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या 2 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	3,093.00
2. ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	13,980.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	2,718.00
				योग रु०	19,791.00

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026 तक	रु०	294.00
2. ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026 तक	रु०	135.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	0.00
				योग रु०	429.00
				कुल योग रु०	20,220.00


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुरा



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/5 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० A-2/7 से० 15/2026-27दिनांक : 01-07-2026SHRI SHASHI BHOOSAN SRIVASTAVA S/O LATE
KAPILDEV SRIVASTAVA

आवंटी यूआईडी : 10007

142-H.I.G-SHASTRIPURAM COLONY POST-GORAKHNATH
GORAKHPUR GORAKHPUR UTTAR PRADESH , Mobile: 9931115503

आवंटन पत्र संख्या 47 दिनांक 15-02-2005 के माध्यम से गीडा की SHED योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A-2/7 से० 15 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	118,163.00
2. ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	625,514.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	239,140.00
योग रु०			982,817.00

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	14,621.00
2. ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	11,859.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	0.00
योग रु०			26,480.00
कुल योग रु०			1,009,297.00


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/6 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० 10 से० 13/2026-27दिनांक : 01-07-2026SHRI SHIVRAKSHA VISHWAKARMA S/O SHRI SUKHARI
PRASAD VISHWAKARMA

आवंटी यूआईडी : 10017

VILLAGE-RAM LAKSHAN POST-LAXMIPUR RUDRAPUR-DEORIA
RUDRAPUR-DEORIA UTTAR PRADESH

आवंटन पत्र संख्या 36 दिनांक 26-02-2003 के माध्यम से गीडा की SHED योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या 10 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	70,128.00
2. ब्याज	: दिनांक 31-12-2025 तक	रु०	315,531.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	111,450.00
योग रु०			497,109.00

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	7,395.00
2. ब्याज	: दिनांक 01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	5,527.00
3. भूमि प्रीमियम :		रु०	0.00
योग रु०			12,922.00
कुल योग रु०			510,031.00


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/7 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० SH-2 से० 23/2026-27दिनांक : 01-07-2026

M/S PRABHA SEWA SAMITI

आवंटी यूआईडी : 12284

THROUGH SMT. PUSHPA CHATURVEDI (SECRETARY/MANAGER)
BARI TUNGPAR, TEHSIL-KHALILABAD DISTRICT-SANT KABIR
NAGAR DISTRICT-SANT KABIR NAGAR UTTAR PRADESH , Mobile:
7060505014

आवंटन पत्र संख्या 26 दिनांक 08-12-2014 के माध्यम से गीडा की **COMMERCIAL-1** योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **SH-2** से० 23 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01-01-2026** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	892,774.00
2. ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	19,749,877.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	22,285,814.00
				योग रु०	42,928,465.00

इसके अतिरिक्त **01-07-2026** को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	01-01-2026 से 30-06-2026	तक	रु०	638,634.00
2. ब्याज	: दिनांक	01-01-2026 से 30-06-2026	तक	रु०	1,105,132.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	0.00
				योग रु०	1,743,766.00
				कुल योग रु०	44,672,231.00


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01-01-2026** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01-07-2026** देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से **Pay Your Dues** पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "**वसूली प्रमाण पत्र**" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष **GST, RCM** पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GSTNO:09AAALG1185A1ZJ** है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुरा

GIDA
GORAKHPUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY

कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/8 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० S-1/3 से० 13/2026-27दिनांक : 01-07-2026SHRI RAJESH PATI TRIPATHI S/O SHRI BALMUKUND
TRIPATHI

आवंटी यूआईडी : 12270

VILLAGE-BHITAHIA POST OFFICE-DAWARPAR DISTRICT-
GORAKHPUR DISTRICT-GORAKHPUR UTTAR PRADESH , Mobile:
9005979755

आवंटन पत्र संख्या 5 दिनांक 02-05-2002 के माध्यम से गीडा की SHOPPING योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/3 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	3,593.00
2. ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	91.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	121.00
				योग रु०	<u>3,805.00</u>

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026	तक	रु०	57.00
2. ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026	तक	रु०	6.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	0.00	
				योग रु०	<u>63.00</u>	
				कुल योग रु०	<u>3,868.00</u>	


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/9 /सम्पत्ति/नौ-/भू०सं० S-1/4 से० 13/2026-27

दिनांक : 01-07-2026

DR. NAVENDU SINHA S/O SHRI SATYENDRA SINHA

आवंटी यूआईडी : 12271

MOHALLA-RAM JANKI NAGAR BASHARATPUR GORAKHPUR
GORAKHPUR UTTAR PRADESH

आवंटन पत्र संख्या 6 दिनांक 02-05-2002 के माध्यम से गीडा की SHOPPING योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/4 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वीकृत पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	75,487.00
2. ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	455,735.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	87,000.00
				योग रु०	<u>618,222.00</u>

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026	तक	रु०	9,197.00
2. ब्याज	: दिनांक	01-01-2026	से 30-06-2026	तक	रु०	4,314.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	0.00	
				योग रु०	<u>13,511.00</u>	
				कुल योग रु०	<u>631,733.00</u>	


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुरा



कार्यालय, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर-273212

Email : ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com, Website : www.gidagkp.in

बकाया धनराशि का मांगपत्रपत्रांक 1920/10/सम्पत्ति/नौ-भू०सं० S-1/2 से० 13/2026-27दिनांक : 01-07-2026

SHRI VIDHYA BHOOSAN S/O SHRI PARAS NATH

आवंटी यूआईडी : 12272

VILLAGE AND POST-JAYATPUR DISTRICT-GORAKHPUR 00
UTTAR PRADESH

आवंटन पत्र संख्या 8 दिनांक 02-11-2002 के माध्यम से गीडा की SHOPPING योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/2 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकृत पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01-01-2026 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	1,170.00
2. ब्याज	: दिनांक	31-12-2025	तक	रु०	0.00
3. भूमि प्रीमियम :				रु०	0.00
				योग रु०	<u>1,170.00</u>

इसके अतिरिक्त 01-07-2026 को निम्न धनराशि और देय हो रही है जिसे समय से जमा किया जाना है:-

1. दण्ड ब्याज	: दिनांक	01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	17.00	
2. ब्याज	: दिनांक	01-01-2026 से 30-06-2026 तक	रु०	0.00	
3. भूमि प्रीमियम :			रु०	0.00	
				योग रु०	<u>17.00</u>
				कुल योग रु०	<u>1,187.00</u>


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2026 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01-07-2026 देय हो रही धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने का कष्ट करें। देय हो चुकी धनराशि को <https://gidaerp.in> वेबसाइट के माध्यम से Pay Your Dues पर क्लिक कर भुगतान करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट :- 1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GSTNO:09AAALG1185A1ZJ है।

उपरोक्त पत्र संपरीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है।


प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।